भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3013

09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

3013. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पर मौन रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) देश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) सशस्त्र बलों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग): रक्षा विनियोजन "अनुदान मांग" का हिस्सा था जिसे वर्तमान बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा गया था । इस दस्तावेज के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को चार अनुदानों के अंतर्गत किया गया विनियोजन 6,21,940.85 करोड़ रुपए है । बजट आकलन (बीई) 2024-25 (निवल) का अनुदान वार विनियोजन इस प्रकार है :-

(रुपए करोड़ में)

अनुदान19- रक्षा मंत्रालय (सिविल)	**अनुदान 20- (रक्षा सेवाएं राजस्व)**	**अनुदान 21- (रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)**	**अनुदान 22- (रक्षा पेंशन)**	**कुल**
25,963.18	2,82,772.67	1,72,000.00	1,41,205.00	6,21,940.85

(घ) सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहलें की हैं और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं, जिससे देश में रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है । इन पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देना; सेनाओं की कुल 509 वस्तुओं की पांच 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 5012 वस्तुओं की 'पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना; जिनके लिए उनके सामने इंगित समय-सीमा से परे आयात पर प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता (आईडीईएक्स) हेतु नवाचार शुरू करना; सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से आत्मनिर्भर पहल (सृजन) नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में (प्रत्येक में एक-एक) दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना; उद्योग और स्टार्टअप के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) की शुरूआत शामिल है । इसके अलावा, पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) खंड के तहत 1,40,691.24 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से, बजट अनुमान 2024-25 में घरेलू खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपए (75%) की राशि निर्धारित की गई है ।

(ड.) सेनाओं द्वारा किए गए अनुमानों और अतीत में किए गए व्यय, प्रतिबद्ध देनदारियों, विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों इत्यादि के अनुमोदन चरण आदि को ध्यान में रखते हुए सेनाओं/संगठनों को धन आवंटित किया जाता है । अंतिम अनुमान का निर्धारण संवीक्षा और बजट पूर्व बैठकों के आधार पर किया जाता है । इसे ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को किया गया कुल बजट आवंटन 6,21,940.85 करोड़ रुपये है, जिसका विवरण इस उत्तर के भाग (क) से (ग) में दिया गया है । किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में, पूरक/संशोधित अनुमान चरणों में और पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धन मांगा जाता है । इसके अलावा, रक्षा बलों की तैयारी इस मंत्रालय की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि धन की कमी के कारण सेनाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं प्रभावित न हों ।

****